Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **नागौर में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का कनिष्ठ सहायक 20 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *08 फरवरी, बुधवार*/ ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर जोधपुर इकाई द्वारा आज नागौर में कार्यवाही करते हुये गोपालराम कनिष्ठ सहायक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम डिपो नागौर को परिवादी से **20 हजार रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की जोधपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी ट्रेवल्स फर्म की अनुबन्धित बसों के निर्बाध संचालन एवं बसों का बार–बार रूट नहीं बदलने की एवज में मन्थली के रूप में गोपालराम कनिष्ठ सहायक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम डिपो नागौर द्वारा **20 हजार रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी जोधपुर के **महानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा** के सुपरवीजन में एसीबी जोधपुर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. श्री दुर्गसिंह राजपुरोहित** के निर्देशन में द्वारा शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री मनीष वैष्णव** द्वारा मय **पुलिस निरीक्षक श्री राजेन्द्र सिंह** एवं टीम के नागौर में ट्रेप कार्यवाही करते हुये गोपालराम पुत्र श्री रामदेवराम जाट निवासी ढ़ींगसरी, तहसील लाडनु, जिला नागौर हाल कनिष्ठ सहायक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम डिपो नागौर को परिवादी से **20 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।